


कार्यालय जिला शहरी विकास अभिकरण

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

विषय सूची

क्र.	अध्याय क्रमांक	विषय	पृष्ठ
1	—	प्रस्तावना	1
		लोक प्राधिकारी का संगठनात्मक ढांचा (प्रपत्र-क)	2
2	अध्याय-एक	संगठन की विशिष्टियों, कृत्यों एवं कर्तव्य	3
		जिला शहरी विकास अभिकरण टीकमगढ़ (म.प्र.) की शाखाएं एवं कार्य विवरण	4
3	अध्याय-दो	प्राधिकरण के विभागीय अधिकारियों व कर्मचारियों के शक्तियां व कर्तव्य	5
4	अध्याय-तीन	विनिश्चय/निर्णय किये जाने के प्रकरण में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया और निगरानी/ पर्यवेक्षण तथा जबाबदेही के माध्यम-सारणी।	6
5	अध्याय-चार	कृत्यों के निर्वहन के लिए निर्धारित मानदण्ड/प्रतिमा	7
6	अध्याय-पांच	कृत्यों के निर्वहन हेतु नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख	8
7	अध्याय-छह	धारित या नियंत्रणाधीन दस्तावेजों की श्रेणियों का विवरण	9
8	अध्याय-सात	जिला शहरी विकास अभिकरण द्वारा नीति निर्धारण व उनका क्रियान्वयन	10-15
9	अध्याय-आठ	अधिनियमों के तहत गठित समितियों का प्रावधान	16
10	अध्याय-नौ	अधिकारियों और कर्मचारियों नियोजितों की निर्देशिका	17
11	अध्याय-दस	प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक और उसके निर्धारण की पद्धति	18
12	अध्याय-ग्यारह	प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट	19
13	अध्याय-बारह	अनुदान के परियोजना (प्रोग्रामों) के क्रियान्वयन की रीति और आवंटित राशि, व्यय एवं हितग्राहियों की संख्या	20
14	अध्याय-तेरह	प्राधिकारी द्वारा दी गई रियायतों सुविधाओं अनुदानों या मंजूर किए गए प्राधिकारों के प्राप्त कर्त्ताओं की सूची	21
15	अध्याय-चौदह	जिला शहरी विकास अभिकरण के पास प्राप्त या धारित इलेक्ट्रानिक फार्म में सूचना के बारे में विवरण	22
16	अध्याय-पंद्रह	नागरिकों को सूचना प्राप्त करने के लिए प्रारंभिक सुविधाएं	23
17	अध्याय-सोलह	लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम तथा अन्य	24
18	अध्याय-सत्रह	अन्य सूचनाएं	25

कार्यालय जिला शहरी विकास अभिकरण टीकमगढ़ (म.प्र.)
जिला शहरी विकास अभिकरण टीकमगढ़ का संगठनात्मक ढांचा (प्रपत्र-क)



अध्याय – एक
संगठन की विशिष्टियां, कृत्य एवं कर्तव्य

यह लोक प्राधिकारी म.प्र. शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्रालय के अधीन जिला स्तरीय इकाई है। कार्यालय शहरी विकास अभिकरण टीकमगढ़ के द्वारा क्रियान्वित होने वाली स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना एवं राष्ट्रीय गंदी बस्ती विकास कार्यक्रम का निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण के अंतर्गत निम्नलिखित नगर पालिका एवं नगर पंचायत शामिल हैं।

जिला	नगर पालिका/नगर पंचायत का नाम		दूरभाष	
			एस.टी.डी. कोड	कार्यालय दूरभाष
टीकमगढ़	नगर पालिका	टीकमगढ़	07683	255323
	नगर पंचायत	1. जतारा	07681	254229
		2. खरगापुर	07684	276226
		3. बल्देवगढ़	07684	275223
		4. पृथ्वीपुर	07680	233267
		5. जेरोन खालसा	07680	253698
		6. तरीचरकलां	07680	254209
		7. निवाड़ी	07680	232365
		8. ओरछा	07680	252633
		9. पलेरा	07681	252670
		10. बड़ागांव	07683	257265
		11. कारी	07683	285227
		12. लिधौरा खास	07681	284629

कार्यालय जिला शहरी विकास अभिकरण टीकमगढ़ (म.प्र.)

जिला शहरी विकास अभिकरण में निम्न शाखाएं हैं :- (प्रपत्र-ख)

क्र.	विभाग	कार्य
1	लेखा	<ol style="list-style-type: none"> 1. वार्षिक आय व्यय अनुमान पत्रक तैयार करना। 2. अभिकरण के द्वारा किए जाने वाले समस्त भुगतान की जांच एवं यह सुनिश्चित करना कि संपादित कार्य/क्रय या व्यवहार की सक्षम स्वीकृतियां, बजट प्रावधान, स्टॉक रजिस्टर/लेजर बुक में प्रविष्टि, सक्षम स्वीकृति प्राप्त करके भुगतान करना व उसका लेखा पुस्तिका संधारित करना। 3. मासिक/त्रैमासिक लेखा तैयार करना एवं विशिष्ट अधिकारियों को भेजना। 4. अनुदान से प्राप्त समस्त राशियों का लेखा संधारण करना। 5. लेखाओं का अंकेक्षण एवं अंकेक्षण प्रतिवेदन का निराकरण।
2	स्थापना	<ol style="list-style-type: none"> 1. अधिकारियों, कर्मचारियों की उपस्थिति। 2. कार्यालय की सामान्य व्यवस्था एवं कार्य विभाजन
3	योजना शाखा	<ol style="list-style-type: none"> 1. अभिकरण के माध्यम से स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, राष्ट्रीय गंदी बस्ती विकास कार्यक्रम मुख्य योजनाओं के अतिरिक्त जनश्री बीमा योजना, राजीव स्वावलंबन योजना, बाल्मिकी अंबेडकर आवास योजना, राजीव गांधी आश्रय योजना का क्रियान्वयन एवं पर्यवेक्षण।
4	भण्डार शाखा	<ol style="list-style-type: none"> 1. अभिकरण द्वारा क्रय की जाने समस्त चल/अचल संपत्ति का रिकार्ड तैयार रखना तथा उनका पंजीकरण करना, भौतिक सत्यापन करना तथा जांच करना।
5	आवक-जावक	<ol style="list-style-type: none"> 1. रिकार्ड पत्रों का आवक-जावक पंजीकरण व निरस्तीकरण।

अध्याय – दो

प्राधिकारी के विभागीय अधिकारियों व कर्मचारियों के कार्य व शक्तियां

क्र.	नाम पदाधिकारी	शक्तियां	कर्तव्य
1	शासी निकाय	नगरीय प्रशासन व विकास विभाग द्वारा संचालित सर्व कार्यक्रम/योजना का अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण करना।	—
2	कलेक्टर/अध्यक्ष	म.प्र. शासन नगरीय कल्याण विभाग के पत्र क्र./1700/न.क./92/स्टेनो भोपाल दिनांक 22 जून 1992 एवं म.प्र. शासन नगरीय कल्याण विभाग के पत्र क्र. 3281/न.क./96 भोपाल दिनांक 30.09.96 के द्वारा प्रदत्त प्रशासनिक वित्तीय शक्तियां।	1. शासी निकाय के निर्णयों का निष्पादन एवं क्रियान्वयन। 2. अभिकरण पर वित्तीय एवं कार्यपालिक प्रशासन पर निगरानी।
3	परियोजना अधिकारी (पी.के. जैन)	1. कार्यालय के वेतन भत्ते व अन्य भुगतान की स्वीकृति। 2. कार्यालय के कर्मचारियों के समस्त अवकाश स्वीकृत। 3. म.प्र. शासन नगरीय कल्याण विभाग के पत्र क्र. 1700/न.क./92/स्टेना भोपाल दिनांक 22.06.92 के तहत प्रदत्त वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार।	1. शासन संचालनालय एवं नगरीय निकायों के मध्य समन्वय एवं पत्र व्यवहार। 2. अभिकरण के समस्त अधिकारियों कर्मचारियों के कार्यों पर नियंत्रण। 3. अभिकरण के समस्त कार्यपालिक और वित्तीय प्रशासन पर निगरानी।
4	मु.लि./लेखापाल (जे.के. नामदेव)	—	स्थापना, लेखा एवं स्टोर संबंधी समस्त कार्य एवं समय-समय पर सौंपे गये अन्य दायित्व।
5	सहा. वर्ग-2 (ओ.पी. कटारे)	—	1. स्वर्ण जयंती रोजगार योजना एवं राष्ट्रीय गंदी बस्ती विकास कार्यक्रम से संबंधित समस्त कार्य। 2. विधानसभा से संबंधित समस्त कार्य। 3. समय-समय पर सौंपे गये अन्य दायित्व।
6	सहा. राजस्व निरी. (अरुणकुमार श्रीवास्तव)	—	1. आवक-जावक संबंधी सभी कार्य। 2. शिकायत, मासिक, त्रैमासिक बैठक संबंधी कार्य। 3. अभिकरण द्वारा निर्देशित अन्य कर्तव्यों का निष्पादन।
7	भृत्य (रामकिशोर रजक)	—	1. डाक वितरण। भृत्य संबंधी पूर्ण कार्य।
8	भृत्य (लक्ष्मन गडरिया)	—	कार्यालयीन साफ सफाई। परियोजना अधिकारी द्वारा सौंपे गये कार्य
9	भृत्य (दिनेश कुम्हार)	—	कार्यालयीन साफ सफाई। अभिकरण के अन्य अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा सौंपे गये अन्य कार्य।

अध्याय – तीन

विनिश्चय/निर्णय किये जाने के प्रक्रम में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया और निगरानी/पर्यवेक्षण तथा जबाबदेही के माध्यम/सारणी

प्रस्तुतकर्ता	–	परियोजना अधिकारी के माध्यम से कलेक्टर/अध्यक्ष
निर्णयकर्ता	–	शासी निकाय
अपील/पुनरीक्षण	–	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग म.प्र. शासन

1. शासन/प्रतिनिधि/आम जनता एवं नगरीय निकायों से प्राप्त पत्र।
2. परियोजना अधिकारी आवश्यक निर्देशों के साथ टीप कर संबंधी शाखा को प्रेषित करता है।
3. आवक/जावक शाखा द्वारा पंजीकृत कर पत्र संबंधी शाखा को प्रेषित करना।
4. शाखा लिपिक द्वारा अपनी टीप के साथ परियोजना अधिकारी को नस्ती प्रस्तुत करना।
5. परियोजना अधिकारी द्वारा आदेश अंकित करना/कलेक्टर/अध्यक्ष को भेजना/नस्ती करना।

विभाग	प्रकरण प्रारंभकर्ता कर्मचारी	डीलिंग कर्मचारी	अधिकारी जिसके माध्यम से निर्णय हेतु प्रस्तुत होता है	निर्णयकर्ता अधिकारी	निगरानी/ पर्यवेक्षण अधिकारी	प्राधिकारी जिसके प्रति उत्तरदायी है
1	2	3	4	5	6	7
लेखा	मु.लि./ लेखापाल	जे.के. नामदेव	परियोजना अधिकारी	कलेक्टर	आयक्त नगरीय प्रशासन विकास विभाग म.प्र. शासन	म.प्र. शासन
स्थापना	मु.लि. /लेखापाल	जे.के. नामदेव	परियोजना अधिकारी	कलेक्टर	आयक्त नगरीय प्रशासन विकास विभाग म.प्र. शासन	म.प्र. शासन
योजना	सहा. वर्ग-2	ओ.पी. कटारे	परियोजना अधिकारी एवं कलेक्टर	शासी निकाय	आयक्त नगरीय प्रशासन विकास विभाग म.प्र. शासन	म.प्र. शासन
आवक जावक	सहा. रा. निरीक्षक	अरुण श्रीवास्तव	परियोजना अधिकारी	कलेक्टर	आयक्त नगरीय प्रशासन विकास विभाग म.प्र. शासन	म.प्र. शासन

अध्याय – चार

कृत्यों के निर्वहन के लिए निर्धारित मानदण्ड/प्रतिमान

शहरी विकास अभिकरण –

1	स्वर्ण जयंती रोजगार योजना लक्ष्यों की प्राप्ति	1. अप्रैल 2005 से जून 2005 तक 25 प्रतिशत 2. जुलाई 2005 से सितंबर 2005 तक 50 प्रतिशत 3. अक्टूबर 2005 से दिसंबर 2005 तक 75 प्रतिशत 4. जनवरी 2006 से मार्च 2006 तक 100 प्रतिशत
2	जिले में स्थित नगरीय निकायों में योजना का निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण	प्रत्येक नगरीय निकाय में वर्ष में दो बार
3	मासिक, त्रैमासिक एवं वार्षिक पत्रक	निर्धारित समय सीमा में
4	न्यायालयीन प्रकरणों में कार्यवाही	निर्धारित समय सीमा में
5	लोकसभा/विधानसभा प्रश्नों के उत्तर	नियत तिथि में

अध्याय – पांच

कृत्यों के निर्वहन हेतु नियम, विनियम, अनुदेश निर्देशिका और अभिलेख

1. अधिनियम –

1. म.प्र. नगर पालिका अधिनियम 1961

2. नियम –

1. म.प्र. नगर पालिका अधिनियम 1961 के अंतर्गत राज्य शासन द्वारा बनाए गए नियम
2. म.प्र. मूलभूत नियम
3. म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966
4. म.प्र. सामान्य भविष्य निधि नियम 1955
5. म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1965
6. वित्त संहिता

3. परिपत्र –

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग म.प्र. शासन विभाग तथा संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्र तथा निर्देश।

अध्याय – छह

धारित या नियंत्रण अधीन दस्तावेजों की श्रेणियों का विवरण

क्र.	दस्तावेज का नाम	दस्तावेज का स्वरूप	समाहित जानकारी	दस्तावेज की समय सीमा
1	2	3	4	5
1	कार्यवृत्त पुस्तिका गवर्निंगबाडी	रजिस्टर	बैठक कार्यवृत्त	रिकार्ड मेन्युअल अनुसार
2	मासिक जानकारी	रजिस्टर	प्रतिवेदन	—”—
3	त्रैमासिक जानकारी	प्रपत्र	प्रतिवेदन	—”—
4	वार्षिक जानकारी	प्रपत्र	प्रतिवेदन	—”—
5	स्टाक पंजी	रजिस्टर	क्रय सामग्री का विवरण	—”—
6	भविष्य निधि अभिलेख	रजिस्टर	कर्मचारियों की जानकारी	—”—
7	वेतन बिल	वेतन रजिस्टर	कर्मचारियों की वेतन वितरण संबंधी जानकारी	—”—
8	प्रतियों की नगद संक्षेपि पत्री रसीद		आय की जानकारी	—”—
9	अवकाश	रजिस्टर	अवकाश की जानकारी	—”—
10	पोस्टेज पंजी	रजिस्टर	डाक टिकिट की जानकारी	—”—
11	विधानसभा	रजिस्टर	विधानसभा प्रश्नों की जानकारी	—”—
12	सेवा अभिलेख	पुस्तिका / नस्ती	कर्मचारियों की सेवा संबंधी जानकारी	—”—
13	आवेदन पत्र / पत्राचार	नस्ती	संबंधी प्रकरण की जानकारी	—”—
14	कैशबुक	रजिस्टर	प्राप्ति एवं खर्च	—”—
15	लेखा परीक्षण टिप्पणी	पंजी / बजट		—”—
16	आवक जावक	रजिस्टर	प्राप्त पत्रों एवं गये प्रेषित की जानकारी	—”—
17	डाक बुक	बुक	स्थानीय डाक का विवरण	—”—

अध्याय – सात

जिला शहरी विकास अभिकरण द्वारा नीति निर्धारण एवं उनका क्रियान्वयन में लोक प्रतिनिधित्व बाबत

जिला शहरी विकास अभिकरण कार्यालय का कार्य नीति निर्धारण का नहीं है। अभिकरण द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली योजनाओं का विवरण निम्नानुसार है।

अनुदान के परियोजना (प्रोग्रामों) के क्रियान्वयन की रीति और आवंटित राशि, व्यय एवं हितग्राहियों की संख्या—

- स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना दिनांक 01.12.1997 जिला शहरी विकास अभिकरण के माध्यम से जिले की कुल जनसंख्या 1202998 में से शहरी जनसंख्या 212375 के लिए जिले की एक नगर पालिका, 12 नगर पंचायतों से संचालित केंद्र प्रवर्तित योजना है। जिसमें 75 प्रतिशत केंद्रांश तथा 25 प्रतिशत राज्यांश उपलब्ध कराया जाता है। योजना का प्रमुख उद्देश्य शहरी गरीबों में स्वरोजगार हेतु कौशल विकसित करने हेतु विभिन्न व्यवसायों से प्रशिक्षण दिलाना तथा रोजगार स्थापित करने हेतु बैंकों के माध्यम से 15 प्रतिशत अथवा 7500 के अनुदान सहित 50 हजार तक का ऋण उपलब्ध कराना। स्वरोजगार में रुचि न रखने वाले शहरी गरीबों को नगरीय निकायों के माध्यम से सार्वजनिक उपयोग की परिसंपत्तियों के निर्माण में मजदूरी कर रोजगार उपलब्ध कराकर अपरोक्ष रूप से महानगरों की ओर पलायन को रोकना है। नगरीय निकाय क्षेत्र में सामुदायिक समितियों का गठन कराया जाकर सामुदायिक समितियों के माध्यम से महिला समूहों का गठन किया जाकर उन्हें स्वरोजगार स्थापित करने हेतु 50 प्रतिशत अथवा 1.25 लाख तक के अनुदान सहित 2.50 लाख तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है। सामुदायिक विकास समिति के माध्यम से महिलाओं के स्व-सहायता समूहों का गठन तथा अन्य गतिविधियों तथा स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन सांस्कृतिक गतिविधियां बालवाणियों का संचालन तथा रोजगार मूलक प्रशिक्षण आदि की व्यवस्था द्वारा महिलाओं में जागृति तथा शिक्षित तथा स्वावलंबी बनाने की दिशा में सतत प्रयास किये जा रहे हैं। इस योजना के प्रमुख घटकों का विवरण निम्नानुसार है –

1. शहरी रोजगार कार्यक्रम

क्र	निकाय का नाम	बैंक का नाम	ऋ 2005.06							
			लक्ष्य		बैंकों को प्रेषित प्रकरण		बैंक द्वारा स्वीकृत		बैंक द्वारा वितरित	
			भौतिक	वित्तीय अनुदान	भौतिक	वित्तीय अनुदान	भौतिक	वित्तीय अनुदान	भौतिक	वित्तीय अनुदान
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	टीकमगढ़	ऋ टिकमगढ़	13	0.975	22	0.817	—	—	—	—
		ऋ टिकमगढ़	13	0.975	22	0.968	08	0.39	—	—
		इलाहाबाद बैंक टिकमगढ़	13	0.975	28	1.17	04	0.21	—	—
		इंदौर बैंक टिकमगढ़	09	0.675	26	1.08	09	0.427	—	—
2	कारी	इंदौर बैंक टिकमगढ़	04	0.30	06	0.270	02	0.075	—	—
3	बड़ागांव	ऋ बड़ागांवधसान	06	0.45	05	0.27	—	—	—	—
4	बल्देवगढ़	ऋ बल्देवगढ़	04	0.30	—	—	—	—	—	—
5	खरगापुर	ऋ खरगापुर	05	0.375	—	—	—	—	—	—
6	पलेरा	ऋ पलेरा	09	0.675	06	0.278	05	0.15	—	—
7	जतारा	ऋ जतारा	08	0.60	—	—	—	—	—	—
8	लिधौरा	ऋ लिधौरा	07	0.525	13	0.895	—	—	—	—
9	पृथ्वीपुर	ऋ पृथ्वीपुर	06	0.45	—	—	—	—	—	—
10	जैरान	ऋ पृथ्वीपुर	03	0.225	—	—	—	—	—	—
11	निवाड़ी	ऋ निवाड़ी	06	0.45	—	—	—	—	—	—
12	तरीचर	ऋ निवाड़ी	03	0.225	—	—	—	—	—	—
13	ओरछा	कैनरा बैंक ओरछा	05	0.375	—	—	—	—	—	—
		ऋ ओरछा	05	0.375	—	—	—	—	—	—
	योग :-		119	8.925	128	5.748	28	1.252	—	—

2. **शहरी स्वरोजगार कार्यक्रम प्रशिक्षण** :- कार्यक्रम के तहत नगरीय क्षेत्र में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को अपना स्वरोजगार स्थापित करने के उद्देश्य से विभिन्न प्रकार की सेवाओं और निर्माण व्यवसायों तथा स्थानीय कौशल एवं स्वयं का शिल्प में प्रशिक्षण प्रदान किया गया जाता है, ताकि वे अपना कोई स्वरोजगार उद्यम स्थापित कर सकें।

प्रशिक्षण पाठ्यक्रम 300 घंटे अथवा तीन माह की अवधि का दिया जाता है साथ ही सामग्री का खर्च, प्रशिक्षण की फीस, प्रशिक्षण संस्थान उठाये जाने वाले अन्य फुटकर खर्चों के अलावा प्रशिक्षार्थी का मासिक वजीफा सहित 2000/- रूपया प्रति प्रशिक्षणार्थी देय है।

क्र.	निकाय का नाम	प्रशिक्षण कार्यक्रम का नाम	संस्था का नाम	स्वीकृत संख्या	प्रशिक्षणरत संख्या
1	2	3	4	5	6
1	नं.पं. ओरछा	अगरबत्ती उद्योग	उद्यमिता विकास केंद्र (सेडमेप) ग्वालियर	10	10
		मोटर बाईडिंग	—”—	17	17
		सिलाई कढ़ाई	—”—	17	17
2	न.पं. पलेरा	कम्प्यूटर प्रशिक्षण	—”—	21	21
		ब्यूटी पार्लर	—”—	08	08
		दरी बुनाई	—”—	10	10
3	न.पं. जतारा	सिलाई कढ़ाई	—”—	22	22
		मोटर बाईडिंग	—”—	17	17
4	न.पं. बल्देवगढ़	टाईपिंग	—”—	20	20
5	न.पं. तरीचर	सिलाई कढ़ाई	—”—	19	19
		कम्प्यूटर प्रशिक्षण	—”—	17	17

3. **शहरी मजदूरी रोजगार कार्यक्रम** :- कार्यक्रम के अंतर्गत स्थानीय नगरीय क्षेत्र में सार्वजनिक परिसंपत्तियों के निर्माण हेतु निर्माण कार्य स्वीकृत क राशि प्रदान की जाती है। निर्माण कार्य विभागीय तौर पर 5 लाख से कम आबादी वाले स्थानीय नगरीय निकायों में कराये जाते हैं। वर्ष 2005-06 में आवंटन अप्राप्त है।

4. **अधोसंरचनात्मक सहायता कार्यक्रम :-** अधोसंरचनात्मक सहायता कार्यक्रम अंतर्गत सामाजिक सेवा केंद्रों की स्थापना किये जाने का प्रावधान है। इस सामाजिक सेवा केंद्रों का उपयोग स्वर्ण जयंती रोजागर योजना के तहत लाभान्वित हितग्राहियों के लिये कार्यस्थलों या बिक्री का संचालन सामुदायिक विकास समिति द्वारा किया जायेगा। प्रत्येक सामुदायिक विकास समिति/स्थानीय नगरीय निकाय में 3मी.×4मी. साईज के सामाजिक सेवा केंद्रों का निर्माण किया जाता है। वर्ष 2005-06 में आवंटन अप्राप्त है।

5. **महिलाओं तथा बच्चों का विकास कार्यक्रम :-** इस कार्यक्रम के तहत शहरी गरीब परिवार की महिलाओं को सामूहिक रूप से आय उपार्जन गतिविधियों को संचालित करने हेतु कम से कम 10 महिलाओं के समूह का परियोजना लागत राशि 250000/- 50 प्रतिशत या अधिकतम 125000/- शासकीय अनुदान का प्रावधान है। बैंक ऋण राशि 112500/- तथा मार्जिन मनी 12500/- नियत है।

क्र	निकाय का नाम	बैंक का नाम	लक्ष्य					बैंकों को प्रेषित प्रकरण	
			भौतिक	वित्तीय (राशि लाख रू. में)				भौतिक	वित्तीय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	टीकमगढ़	सेन्ट्रल बैंक टीकमगढ़	1	1.25	1.125	0.125	2.50	—	—
		यूनियन बैंक टीकमगढ़	1	1.25	1.125	0.125	2.50	—	—
		इलाहाबाद बैंक टीकमगढ़	1	1.25	1.125	0.125	2.50	—	—
2	कारी	स्टेट बैंक ऑफ इंदौर टीकमगढ़	1	1.25	1.125	0.125	2.50	—	—
3	बड़ागांव	भारतीय स्टेट बैंक बड़ागांव	1	1.25	1.125	0.125	2.50	—	—
4	खरगापुर	भारतीय स्टेट बैंक बल्देवगढ़	1	1.25	1.125	0.125	2.50	—	—
5	लिधौरा	भारतीय स्टेट बैंक लिधौरा	1	1.25	1.125	0.125	2.50	—	—
6	जैरान	भारतीय स्टेट बैंक पृथ्वीपुर	1	1.25	1.125	0.125	2.50	—	—
7	निवाड़ी	भारतीय स्टेट बैंक निवाड़ी	1	1.25	1.125	0.125	2.50	—	—
8	ओरछा	केनरा बैंक ओरछा	1	1.25	1.125	0.125	2.50	—	—
	योग :-		10	12.50	11.25	1.25	25.00	—	—

6. **बचत एवं साख समिति :-** इस कार्यक्रम के तहत कम से कम 10 व अधिकतम 20 महिलाओं के समूह द्वारा सामुदायिक बचत को बढ़ावा देने और अन्य सामूहिक कार्यकलापों के लिये बचत एवं साख समितियों को गठित किये जाने का प्रावधान है। बचत एवं साख समितियों के स्थानीय स्तर पर साधन जुटाने के प्रयासों को वृहत संस्थागत वित्त व्यवस्था से जोड़ने का कार्य करेगी ताकि वे विभिन्न योजनाओं के तहत सीधे धन प्राप्त कर सकें और उन्हें वृहत वित्तीय एवं शाख आधार पर मिल सकें। बचत एवं साख समितियों एक वर्ष तक निरंतर संचालित रहने की दशा में 1000/- राशि प्रति हितग्राही अधिकतम 20000/- रूपये प्रति समिति चक्रीय निधि देने का प्रावधान है। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के बचत एवं साख समिति कार्यक्रम वर्ष 2005-06 हेतु टीकमगढ़ जिले की 13 नगरीय निकायों के लिये निम्नानुसार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

क्र	निकाय का नाम	भौतिक लक्ष्य (25 हितग्राही प्रति समिति के मान से)		वित्तीय लक्ष्य (लाख में)
		सदस्य संख्या	समिति संख्या	
1	न.पं. टीकमगढ़	150	6	1.50
2	न.पं. कारी	50	2	0.50
3	न.पं. बड़ागांवधसान	50	2	0.50
4	न.पं. बल्देवगढ़	50	2	0.50
5	न.पं. खरगापुर	50	2	0.50
6	न.पं. पलेरा	50	2	0.50
7	न.पं. जतारा	50	2	0.50
8	न.पं. लिधौरा	50	2	0.50
9	न.पं. पृथ्वीपुर	50	2	0.50
10	न.पं. जैरोन	50	2	0.50
11	न.पं. निवाड़ी	50	2	0.50
12	न.पं. तरीचरकलां	50	2	0.50
13	न.पं. ओरछा	50	2	0.50
	योग :-	750	30	7.50 लाख

7. सामुदायिक संगठक घटक :- सामुदायिक संगठक घटक के अंतर्गत नगरीय निकायों को सामुदायिक भवन निर्माण हेतु निम्न राशि वर्ष 2005-06 में दी गई :-

क्र.	निकाय का नाम	कार्य का नाम	प्राक्कलन राशि	स्वीकृत राशि	वर्ष
1	2	3	4	5	6
1	नं.पं. टीकमगढ़	सामुदायिक शौचालय निर्माण हेतु	3.30 लाख	3.30 लाख	2005-06
2	नं.पं. ओरछा	सामुदायिक शौचालय निर्माण हेतु	3.30 लाख	3.30 लाख	2005-06
3	नं.पं. जैरान	सामुदायिक भवन निर्माण	2.39 लाख	2.39 लाख	2004-05
4	नं.पं. बल्देवगढ़	सामुदायिक भवन निर्माण	2.843 लाख	2.50 लाख	2004-05
5	कारी	सामुदायिक भवन निर्माण	2.148 लाख	-	-
6	नं.पं. पलेरा	सामुदायिक भवन निर्माण	2.50 लाख	-	-
7	नं.पं. लिधौराखास	सामुदायिक भवन निर्माण	2.47 लाख	-	-

8. पर्यावरण सुधार कार्यक्रम :- पर्यावरण सुधार कार्यक्रम अंतर्गत जिले की नगर पंचायतों के उन क्षेत्रों में जहां गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार निवास करते हैं व जो गंदी बस्ती क्षेत्र घोषित हैं उन क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध कराने हेतु राज्य शासन द्वारा आवंटन दिया जाता है। मूलभूत सुविधाएँ सामुदायिक विकास समिति के सुझाव पर एवं नगर पंचायतों से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर नगर पंचायतों के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है। समस्त कार्य विभागीय तौर पर कराये जाने का प्रावधान नियत है। वर्ष 2005-06 में आवंटन अप्राप्त है।

9. राष्ट्रीय गंदी बस्ती विकास कार्यक्रम :- राष्ट्रीय गंदी बस्ती विकास टीकमगढ़ जिले में 1 जनवरी 1997 से लागू किया गया है योजनांतर्गत नगर पालिका टीकमगढ़ को सम्मिलित किया गया है टीकमगढ़ के उन वार्डों में जहां गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार निवास करते हैं व जो गंदी बस्ती क्षेत्र घोषित है उन क्षेत्रों में सामाजिक गतिविधियां एवं मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा राशि का आवंटन किया जाता है। सामाजिक गतिविधियां एवं मूलभूत सुविधायें नगरपालिका के प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर स्थानीय निकायों के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है। समस्त कार्य विभागीय तौर पर कराये जाने का प्रावधान है।

क्र	निकाय का नाम	कार्य का नाम	वर्ष	लागत
1	2	3	4	5
1	न.पा. टीकमगढ़	अयोध्या बस्ती वार्ड क्र. 1 अनगढ़ा सौरयाना में दल्लू कुशवाह के मकान से पूरन कुशवाह के मकान तक सी.सी. रोड निर्माण	2005-06	6.003 लाख
		अयोध्या बस्ती वार्ड क्र. 1 अनगढ़ा सौरयाना में बाबू सौर के मकान से प्राथमिक शाला भवन तक सी.सी. रोड निर्माण	2005-06	1.435 लाख
		अयोध्या बस्ती वार्ड क्र. 1 में पावर हाउस म.प्र.वि. मण्डल से अनगढ़ा पहुंच मार्ग (पारीछत कुशवाह के मकान तक) सी.सी. रोड निर्माण	2005-06	7.66 लाख
		योग :-	-	15.098 लाख

10. **जनश्री बीमा योजना :-** इस योजना के अंतर्गत नगरीय क्षेत्र में गरीबी रेखा के नीचे और उससे थोड़ा ऊपर जीवन यापन करने वाले शहरी गरीबों को जन श्री बीमा सुरक्षा प्रदान करना, इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। 18 से 60 वर्ष की आयु के नागरिक का रूपये 200/- वार्षिक प्रीमियम पर जिसके रूपये 100/- सामाजिक सुरक्षा कोष से देय होंगे। शेष रूपये 100/- बीमित सदस्य द्वारा देय होंगे, जनश्री बीमा किया जावेगा, बीमित व्यक्ति सामान्य मृत्यु पर नामांकित व्यक्ति को 20000/- तथा दुर्घटना, मृत्यु अथवा पूर्ण अपंगता अथवा दो आंखें या दो हाथ, पांच या एक आंख और एक हाथ या पांच अक्षम होने पर 50000/- तथा दुर्घटना में एक आंख या एक हाथ या पांच अक्षम होने पर 25000/- बीमित व्यक्ति को जीवन बीमा निगम द्वारा भुगतान की जावेगी। गरीबी रेखा के नीचे बीमित सदस्य के कक्षा 9 से 12 तक में अध्ययनरत अधिकतम दो बच्चों को बगैर किसी प्रीमियम के शिक्षा सहयोग योजना के अंतर्गत 300/- रूपये प्रति त्रैमासिक छात्रवृत्ति भी जीवन बीमा निगम द्वारा दी जायेगी। योजना की नोडल एजेंसी नगरीय निकाय होती है।
11. **राजीव स्वावलम्बन योजना :-** नगरीय क्षेत्र के गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले शिक्षित बेरोजगार, विकलांगों, बेसहारा और परित्यक्ता महिलाओं, अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग के बेरोजगारों को अपना रोजगार स्थापित करने हेतु दुकानें उपलब्ध कराना। नगरीय निकायों द्वारा शहरी बेरोजगारों को नगर पंचायत क्षेत्र में 4000/- रूपये अमानत तथा 150/- रूपये मासिक किराये पर तथा 50 हजार से एक लाख जनसंख्या वाले नगर पालिका वाले क्षेत्र में 6000/- रूपये अमानत तथा 250/- रूपये मासिक किराया एवं 3 लाख तक जनसंख्या वाले नगर पालिका क्षेत्र में 10000/- रूपये अमानत तथा 750/- रूपये मासिक किराये पर नगरों की प्रत्येक एक हजार की आबादी पर 40 से 70 वर्ग फीट की दुकान उपलब्ध कराई जाएगी। योजना का संचालन तथा क्रियान्वयन नगरीय निकाय के द्वारा किया जाता है।

अध्याय – आठ

अधिनियमों के तहत गठित समितियों का प्रावधान

जिला शहरी विकास अभिकरण का गठन, राज्य इंडियन सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1960 के अंतर्गत नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग म.प्र. शासन भोपाल द्वारा संचालित विविध योजनाओं के संचालन के लिए किया गया है। समिति का पंजीयन, प्रमाण पत्र, सा.सा. 1992 सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधि. पंजीकृत हुआ। इस हेतु गवर्निंग वाडी का गठन नगरीय कल्याण संचालनालय म.प्र. भोपाल (पदेन अध्यक्ष) के पत्र क्रमांक 7437/शा.-4/एस.जे.एस./4/99/2000 भोपाल दिनांक 27.07.1999 अनुसार निम्नानुसार सदस्यों को मनोनीत किया गया है।

1. जिले के जिलाध्यक्ष इसके पदेन अध्यक्ष
 2. विकास विभागों के जिला स्तर के अधिकारी गृह निर्माण मण्डल विकास प्राधिकरण सुधार न्यास, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण के अधिकारी
 3. नगर निगम/नगर पालिकाओं के अध्यक्ष/प्रशासक, आयुक्त/मुख्य नगर पालिका अधिकारी
 4. बैंक के प्रतिनिधि
 5. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं के प्राचार्य
 6. नगर सुधार न्यास के कार्यपालन अधिकारी
 7. गरीबों की भलाई में लगे अशासकीय संस्था का एक प्रतिनिधि
 8. एक प्रमुख सामाजिक महिला कार्यकर्ता
 9. अनु. जाति और जनजाति के एक-एक प्रतिनिधि
 10. नगरीय क्षेत्रों से संबंधित माननीय सांसद, विधायकगण
- गवर्निंग वाडी की बैठक प्रत्येक तीन माह में आयोजित किए जाने का प्रावधान है। जिला शहरी विकास अभिकरण की शासी निकाय की बैठक के कार्यवृत्त आम नागरिकों की जानकारी एवं अवलोकन हेतु उपलब्ध हैं।

अध्याय – नौ

अधिकारियों/कर्मचारियों नियोजितों की निर्देशिका

क्र.	नाम पदाधिकारी/कर्मचारी	पदनाम	पता	फोन नंबर		रिमार्क
				निवास	कार्यालय	
1	2	3	4	5	6	7
1	पी.के. जैन	परियोजना अधिकारी	हिमांचल की गली, टीकमगढ़	243251	242850	
2	जे.के. नामदेव	मु.लि. /लेखापाल	लवकुश कालोनी टीकमगढ़		242850	न.पं. जतारा से संलग्न
3	ओ.पी. कटारे	सहा. वर्ग-2	पुरानी टेहरी पानी की टंकी के पास टीकमगढ़	266605	242850	न.पं. टीकमगढ़ से संलग्न
4	अरुण श्रीवास्तव	सहा.रा.नि.	सिविल लाईन टीकमगढ़		242850	न.पं. ओरछा से संलग्न
5	लक्ष्मण गड़रिया	भृत्य	चकरा मुहल्ला टीकमगढ़		242850	न.पं. टीकमगढ़ से संलग्न
6	रामकिशोर रजक	भृत्य	बस स्टेण्ड टीकमगढ़		242850	न.पं. टीकमगढ़ से संलग्न
7	दिनेश कुम्हार	भृत्य	पुरानी टेहरी टीकमगढ़		242850	न.पं. टीकमगढ़ से संलग्न

अध्याय – दस

प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक और उसके निर्धारण की पद्धति

क्र.	नाम पदाधिकारी / कर्मचारी	पदनाम	वेतनमान	मासिक उपलब्धि वेतन+महंगाई	विनियमों के अंतर्गत क्षतिपूर्ति			योग
					6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	पी.के. जैन	परियोजना अधिकारी	5500-9000	13678	353	—	130	14161
2	जे.के. नामदेव	मु.लि./ लेखापाल	4500-7000	10075	162	—	—	10075
3	ओ.पी. कटारे	सहा. वर्ग-2	4000-6000	7440	192	—	—	7632
4	अरुण श्रीवास्तव	सहा.रा.नि.	3050-4590	5076	43	—	—	5119
5	लक्ष्मण गडरिया	भृत्य	2750-3800	5487	142	—	30	5659
6	रामकिशोर रजक	भृत्य	2610-3540	5084	131	—	30	5245
7	दिनेश कुम्हार	भृत्य	2550-3200	3952	102	—	30	4084
8	कु. बबीता मिश्रा	सामु. संगठक	2500	2500	—	—	—	2500
9	श्रीमती सुषमा यादव	सामु. संगठक	2500	2500	—	—	—	2500
10	श्रीमती ममता नापित	सामु. संगठक	2500	2500	—	—	—	2500
11	श्रीमती रजनी खरे	सामु. संगठक	2500	2500	—	—	—	2500
12	श्रीमती बाल्मीक	सामु. संगठक	2500	2500	—	—	—	2500

अध्याय – ग्यारह
अभिकरण को आवंटित बजट

क्र	कार्यक्रम का नाम	पूर्व वर्ष की शेष राशि	चालू वर्ष में प्राप्त राशि	कुल राशि (3+4)	व्यय राशि	शेष राशि	भौतिक उपलब्धि	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	कार्यक्रम का भाग ;नन्द	5.372	0.54	5.912	—	5.912	—	—
2	शहरी स्वरोजगार कार्यक्रम प्रशिक्षण ;नन्द, जतपद	1.998	0.30	2.298	2.583	—	—	—
3	अधोसंरचनात्मक सहायता ;उत्थ, जन्तुद	1.274	0.10	1.374	0.50	0.874	—	—
4	शहरी मजदूरी रोजगार कार्यक्रम ;नन्द	2.418	0.89	3.308	0.873	2.435	—	—
5	महिला एवं बच्चों का विकास कार्यक्रम ;वै, द	4.010	0.06	4.07	—	4.07	—	—
6	बचत एवं साख समिति ;ज-वैपद	3.169	—	3.169	—	3.169	—	—
7	सामुदायिक संगठन घटक ;दडडन्तुप, जन्तुद	—	0.47	0.47	0.802	—	—	—
8	सूचना शिक्षा संप्रेषण ;पम्पद	2.798	—	2.798	—	2.798	—	—
9	स्थानीय निकायों का सुदणीकरण ;नन्द	1.397	0.07	1.467	1.031	0.436	—	—
10	प्रशासकीय व्यय ;प-वम्पद	15.706	0.20	15.906	1.914	13.992	—	—
11	राष्ट्रीय गंदी बस्ती विकास कार्यक्रम ;उपैवपद						—	—

अध्याय – बारह

अनुदान के परियोजना के क्रियान्वयन की रीति और आवंटित राशि व्यय एवं हितग्राहियों की संख्या

अध्याय सात में उल्लेखित है।

अध्याय – तेरह

*प्राधिकारी द्वारा दी गई रियायतों, सुविधाओं, अनुदानों या मंजूर किए गए प्राधिकारों
के प्राप्त कर्ताओं की सूची वर्ष 2005–06*

वर्ष 2005–06 की सूची नगरीय निकायों की जानकारी में उल्लेखित है।

अध्याय – चौदह

अभिकरण के पास प्राप्त या धारित इलेक्ट्रानिक फार्म में सूचना के बारे में विवरण

क्र.	वर्ग	हार्ड कापी	इलेक्ट्रानिक फार्म
1	2	3	4
1	कैशबुक	हार्ड कापी	निरंक
2	कार्यवृत्त पुस्तिका गवर्निंगवाडी	--	--
3	मासिक जानकारी	--	--
4	त्रैमासिक जानकारी	--	--
5	वार्षिक जानकारी	--	--
6	स्टाक पंजी	--	--
7	भविष्य निधि अभिलेख	--	--
8	वेतन बिल	--	--
9	प्रतियों की नगद संक्षेपि पत्री रसीद	--	--
10	अवकाश पंजी	--	--
11	पोस्टेज पंजी	--	--
12	विधानसभा	--	--
13	सेवा अभिलेख	--	--
14	आवेदन पत्र/पत्राचार	--	--
15	लेखा परीक्षण टिप्पणी	--	--
16	आवक जावक	--	--
17	डाक बुक	--	--

अध्याय – पंद्रह

नागरिकों को सूचना प्राप्त करने के लिए उपलब्ध सूचनाएं


स.क्र.	सुविधा	प्रभारी का नाम	सूचना प्राप्ति का समय (शासकीय अवकाश छोड़कर)	टेलीफोन नंबर
1	2	3	4	5
1	मौखिक/आवेदन द्वारा	पी.के. जैन परियोजना अधिकारी	3.30 से 5.30 बजे तक	07683-242850

अध्याय – सोलह

लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम तथा अन्य

क्र.	नाम	पदनाम	टेलीफोन नं.	ई. मेल पता	फैक्स नं.	कार्यालय पता	मिलने का समय
1	श्री पी.के. जैन	परियोजना अधिकारी	242850	—	—	द्वितीय तल संयुक्त कार्यालय झांसी रोड, टीकमगढ़	अपरान्ह 3 से 4
2	श्री जे.के. नामदेव	मु.लि./लेखापाल	242850	—	—	—”—	—”—
3	अपीली अधिकारी	कलेक्टर एवं अध्यक्ष शहरी विकास अभिकरण	242850	—	—	संयुक्त कार्यालय भवन	—

अध्याय – सत्रह



1. सूचना का अधिकारी अधिनियम 2005 के अंतर्गत कोई भी नागरिक जिला शहरी विकास अभिकरण द्वारा नियुक्त लोक सूचना अधिकारी अथवा सहायक लोक सूचना अधिकारी को विहित प्रारूप में आवेदन कर वांछित सूचना/अभिलेखों की प्रति प्राप्त कर सकता है। आवेदन पत्र का फार्म सूचना अधिकारी कार्यालय से निर्धारित शुल्क देकर प्राप्त किया जा सकता है। आवेदन पत्र की रसीद प्रदान की जावेगी। आवेदक को अभिलेखों की प्रतिलिपि का निर्धारित शुल्क जमा करना होगा।
2. अधिनियम की धारा 8 में उल्लिखित काण्डों से आवेदक द्वारा चाही गई सूचना/अभिलेखों की प्रति देने से इंकार किया जा सकता है। जिसकी लिखित सूचना आवेदक को दी जावेगी। आवेदक विषयांतर्गत इस आदेश के विरुद्ध अपील कर सकेगा।
3. गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले व्यक्ति द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत चाही जाने वाली जानकारी एवं आवेदन पत्र शुल्क से विमुक्त होंगे।
4. जिला शहरी विकास अभिकरण द्वारा नागरिकों के रचनात्मक प्रस्ताव एवं सुझाव अपेक्षित हैं। कोई भी नागरिक सहायक लोक सूचना अधिकारी के पास रखी सुझाव पुस्तिका में अपने सुझाव अंकित कर सकता है या लिखित में दे सकता है।
5. सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत जानकारी प्राप्त करने में कठिनाई या समस्या के लिए लोक सूचना अधिकारी से संपर्क किया जा सकता है।

(पी.के. जैन)

परियोजना अधिकारी
जिला शहरी विकास अभिकरण
जिला टीकमगढ़ (म.प्र.)